न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़, जिला—अजमेर

पीठासीन अधिकारी : कार्तिक शर्मा, आर.जे.एस.

आपराधिक नियमित प्रकरण सं. : 109 / 2022

सी.आई.एस. प्रकरण सं. : 109 / 2022

राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी.

ब ना म

गणपतलाल पुत्र मिठुलाल उम्र 34 साल निवासी जसवन्तपुरा (काशीपुरा) पुलिस थाना सराना जिला अजमेर

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं.

उपस्थितिः—

1. सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य
2. श्री शैलेन्द्र जैन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

निर्णय **दिनांकः 15.04.2026**

1. इस प्रकरण में दिनांक 06.04.2025 को विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने थानाधिकारी पुलिस थाना सराना की ओर से अभियुक्त गणपत के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.01..022 को प्रार्थिया मथुरा देवी ने थानाधिकारी पुलिस थाना सराना को एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि दिनांक 12.01.2022 को सुबह वह अपने खेत पर फसल देखने गयी थी, तब गांव के ही तथा खेत का पडौसी गणपत पुत्र मिठु जो कि वहीं मौजुद था व फावडे से उसके खेत की तरफ मिट्टी धकेल रहा था तथा खेत पर कब्जा कर रहा था। जिस पर उसके द्वारा एतराज करने पर अप्रार्थी ने उसके साथ गाली—गलौच की व धक्का मुक्की करते हुए फावडे से वार कर उसके हाथ को चोटिल कर दिया व जान से मारने की धमकियां दी तथा अप्रार्थी से उसे व उसके परिवार को जान माल आदि घटना घटित होने की आशंका है ..... आदि रिपोर्ट पर पुलिस थाना सराना द्वारा मुकदमा सं. 08/2022 अन्तर्गत धारा 341, 323, 447 भा.दं.सं. में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त गणपत के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाने पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण को नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त के न्यायालय के उपस्थित आने पर बहस आरोप सुनी जाकर उक्त अभियुक्त को धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.ड.–1 मथुरा, पी.ड.–2 ग्यारसीलाल, पी.ड.–3 धर्मीचन्द, पी.ड. 4 भोलु, पी.ड. 5 सूरमा, पी.ड. 6 सुजान, पी.ड. 7 रामदयाल, पी. 8 नंदलाल को परीक्षित कराया गया व प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी–2 चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–3 चोट प्रतिवेदन मथुरा देवी, प्रदर्श पी–4 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–5 प्रार्थना पत्र आहता के डिस्चार्ज व भर्ती टिकट को रिकार्ड पर लेने बाबत, प्रदर्श पी–6 रैफर कार्ड/डिस्चार्ज टिकट, प्रदर्श पी–7 दस्तावेजात को प्रदर्श व प्रमाणित कराया गया।

5. अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् लिये गये तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

6. बहस अन्तिम सुनी गयी। दौराने बहस अंतिम विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से दौराने बहस कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त गवाहान की साक्ष्य एवं अन्य प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि गवाहान के बयानों से घटना की ताईद नहीं होती है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण झूंठा दर्ज करवाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास है नक्शा मौका गवाहान के बयानों से साबित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे विचारणीय बिंदु यह है कि....

8. **क्या दिनांक 12.01.2022 को समय करीब सुबह 9 बजे जसवन्तपुरा में आपने में आहता/परिवादिया मथरा देवी का सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ स्वेच्छया कुंद हथियार से मारपीट कर साधारण एवं कुंद हथियार फावडे से बांये हाथ की कलाई पर चोट पहुंचाकर गंभीर उपहतियां कारित की? यदि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध साबित हैं तो उनके लिए समुचित दंड क्या होगा?**

9. हस्तगण प्रकरण में पुलिस थाना सराना द्वारा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2 दर्ज कर प्रकरण में बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 325 भारतीय दंड संहिता के तहत नतीजा पेश किया।

10. धारा 341, 323, 325 में न्यायालय को यह देखना अनिवार्य है कि क्या अभियुक्त द्वारा धारा 341, 323, 325 भादंसं का अपराध कारित किया अथवा नहीं। धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. यह प्रावधानित करती है कि–

*''**धारा 341 सदोष अवराध के लिए दंड**– जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा''।*

*'**धारा 323 स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड**– उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास, से जिसके अवधि एक वर्ष तक की हो सकगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा।*

*''**धारा 325 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड** – उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।'।*

*"**धारा 320 घोर उपहति** – उपहति की केवल निम्न किस्मे "घोर" कहलाती है –*

1. *पुंस्त्वहरण*
2. *दोनो में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद*
3. *दोनो में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद*
4. *किसी भी अंग या जोड का विच्छेद*
5. *किसी भी अंग या जोड की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास*
6. *सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपिकरण*
7. *अस्थि या दांत का भंग या विसंधान*
8. *कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीडा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है। "*

11. हस्तगत प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 341, 323, 325 भा.द.स. के आरोपों के तहत विचारण किया गया। प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा अपनी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में अंकन किया गया है कि दिनांक 12.01.2022 को सुबह वह अपने खेत पर फसल देखने गयी थी, तब गांव के ही तथा खेत का पडौसी गणपत पुत्र मिठु जो कि वहीं मौजुद था व फावडे से उसके खेत की तरफ मिट्टी धकेल रहा था तथा खेत पर कब्जा कर रहा था। जिस पर उसके द्वारा एतराज करने पर अप्रार्थी ने उसके

साथ गाली–गलौच की व धक्का मुक्की करते हुए फावडे से वार कर उसके हाथ को चोटिल कर दिया व जान से मारने की धमकियां दी। इस संबंध में न्यायालय के समक्ष आहता/प्रार्थिया मथरा स्वयं पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित हुयी है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया किया कि आज से 1 साल 7 माह पहले सुबह 9 बजे उसके खेत की बात है। वह अपने खेत पर थी और रजका काट रही थी। उसके खेत के पास गणपतलाल का खेत है। गणपतलाल खेत की मेड को खोदकर उसके खेत में मिट्टी डाल रहा था। उसका खेत जसवंतपुरा में है। उसने गणपतलाल को मना किया तो वह नहीं माना और उसने उसके साथ लडाई झगडा किया और उल्टे फावडे से उसके उल्टे हाथ पर मारी जिससे उसके हाथ में चोट लगी और फ्रेक्चर हो गया। वह चिल्लाई तो उसका पति, सूरमा वहां आए और बीचबचाव कराया तो उन लोगों के साथ भी गाली गलौच कर धक्का मुक्की की गई। उसने व उसकी देवरानी व उसके पति ने सराना थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है। उसी दिन उसने थाने पर मारपीट की सूचना दे दी थी और उसी दिन पुलिस ने उसका मेडिकल सराना अस्पताल में कराया। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में आहता ने कथन किया कि उसके चोट लगने से वह केकडी अस्पताल में भर्ती हुयी थी। गवाह ने कथन किया कि गणपत का खेत उसके खेत के लगायत है। गवाह ने कथन किया कि झगडा खेत पर कब्जे का नहीं था, मेड तोड रहा था, उसको रोकने पर झगडा कर रहा था। गवाह ने कथन किया कि वह, उसका पति ग्यारसीलाल, देवर धर्मा व मुल्जिम गणपत के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। गवाह ने कथन किया कि उसके झगडे में हाथ पर उल्टे फावडे की मारी थी।

12. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 2 ग्यारसीलाल ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि आज से डेढ साल से अधिक समय हो गया है। उसकी पत्नी खेत पर थी और रजका काट रही थी। उनके खेत के पास गणपतलाल का खेत है। उसकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज आई तो वह और सूरमा खेत पर गए और देखा कि गणपतलाल उसकी पत्नी के साथ गाली गलौच कर मारपीट कर रहा था। उसने उसकी पत्नी के उल्टे हाथ पर उल्टे फावडे की मारी जिससे उसकी पत्नी के हाथ में चोट लगी और फ्रेक्चर हो गया। उन्होंने बीचबचाव कराया तो उन लोगों के साथ भी गाली गलौच कर धक्का मुक्की की गई। गणपतलाल ने उसकी पत्नी के साथ मेड की खुदाई करने से मना करने की बात पर फावडे से मारपीट की। उन्होंने घटना की रिपोर्ट सराना थाने में दर्ज करवा दिया। पुलिस को घटना की सूचना घटना वाले दिन दे दी थी और उसी दिन उन्होंने उसकी पत्नी का सराना अस्पताल में मेडिकल करवा दिया था। रिपोर्ट देने के दूसरे दिन पुलिस वाले मौका मुआयना करने के लिए खेत पर आए थे और नक्शामौका वहीं खेत पर बनाया उस समय उसकी पत्नी मथरा, धर्मीचंद व पुलिस वाले वहीं माजूद थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि वक्त घटना वह, सुरमा, धर्मीचन्द, मथरा के अलावा अन्य कोई मौजुद नहीं था। गवाह ने कथन किया कि घटना के दिन

उसकी पत्नी को केकडी अस्पताल में भर्ती करा दिया था। अभियुक्त घटना के समय अपने खेत पर पानी पिलाई कर रहा था। गवाह ने कथन किया कि घटना के वक्त वह मौके पर नहीं था, बाद में आया था।

13. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 3 धर्मीचन्द ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि आज से दो साल पहले सुबह 9 बजे की बात है। वह और उसकी पत्नी अपने खेत पर काम कर रहे थे। पास मे दूसरे खेत मे उसका भाई ग्यारसीलाल और उसकी भाभी मथरा देवी भी खेत मे काम कर रहे थे। तब वहा गणपत लाल ने पानी के धोरे को हटा कर मीट्टी डाल दी तो उसकी भाभी ने मना किया तो उसने फावडे से उनके हाथ पर मारी जिससे उनका उल्टा हाथ टूट गया। उसके बाद उसके भाई और उसने बीच बचाव कराया तो उनके साथ भी गाली–गलोच कर धक्का मुक्की करने लगा। उसकी भाभी ने सराना थाना मे मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। रिपोर्ट देने के दूसरे दिन पुलिस वाले मौका मुआयना देखने के लिए खेत पर आये थे। नक्शा मौका वही खेत पर बनाया था और वही पर उनके हस्ताक्षर करवाया थे। नक्शे मौके की कार्यवाही करते समय वह, ग्यारसीलाल, मथरा और उसकी पत्नी भी वही पर थी। प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि घटनास्थल पर 15–20 आदमी इकट्ठे हो गए थे। यह स्वीकार किया कि रिपोर्ट दर्ज कराने वह भी गया था। गवाह ने कथन किया कि घटना के समय उसकी भाभी बेहोश हो गयी थी जिसे एक घंटे बाद होश आया था। यह स्वीकार किया कि मुल्जिम गणपत व ग्यारसीलाल, मथरा के आमने–सामने लडाई–झगडा हुआ था यह धक्का –मुक्की में उसकी भाभी नीचे गिर गयी थी। गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया कि नीचे गिरने से उसकी भाभी का हाथ टूटा हो। अजखुद कहा कि गणपत के मारने से उसकी भाभी का हाथ टूटा था।

14. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 5 सूरमा ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि ढाई साल पहले सुबह 9 बजे की बात है। उनके खेत की बात है। वह और उसकी जेठानी मथरा देवी दोनो खेत पर ही थे। तब वहॉ पर गणपत आया और खेत में पानी के धोरे को हटाकर हमारे खेत में मिटटी डाल रहा था, तब मथरा ने मना किया इसी बात को लेकर उनसे गाली गलोच कर फावडे से मथरा देवी के बायें हाथ पर मारी। जिससे उसका बांया हाथ पर फैक्चर हो गया। उसने बीच बचाव कराया। उसी दिन वह, उसकी जेठानी सराना थाने पर गये थे। उसी दिन पुलिस वाले मथरा को सराना अस्पताल ले जाकर मेडिकल मुआयना करवाया। प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि घटना के समय वह मौके पर ही थी। उसे जानकारी नहीं कि पुलिस ने फावडा जब्त किया या नहीं। गवाह ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय मथरा बेहोश हो गयी थी।

15. गवाह पी.ड. 4 भोलु ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि आज से लगभग 2 साल पहले सुबह 9 बजे की बात है। गॉव जसंवतपुरा मे वह घर से मंदिर जा रहा था। तब रास्ते मे ग्यारसीलाल के

खेत की बात है। वहॉ से चिल्लाने की आवाज आई तो उसने देखा की ग्यारसीलाल, मथरा, धर्मीचंद, और सुरमा के साथ गणपत गाली गलोच कर रहा था। उसने फावडे से मथरा के साथ मारपीट की उसने हाथ पर फावडे से मारी जिससे मथरा का हाथ टूट गया। धर्मीचंद और सुरमा व अन्य लोगो ने बीच बचाव करवाया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की कर मारपीट की। ग्यारसीलाल व उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवाया दिया। प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि घटना के समय 8–10 आदमी इकट्ठा हो गये थे। गवाह ने आगे कथन किया कि वह मौके पर आधे घंटे बाद पहुंचा था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने जो सुना था वह बता रहा है।

16. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 6 सुजान ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह भगवानपुरा का रहने वाला है। पौने चार साल पहले वह लगभग सुबह 9 बजे के आस पास जसवन्तपुरा में मंदिर जा रहा था। मंदिर के पास ही ग्यारसीलाल व गणपत दोनो भाईयों का खेत है। वहॉ पर गणपत व ग्यारसीलाल और ग्यारसीलाल की पत्नी मथुरा देवी के बीच में खेत में पानी पिलाने की बात को लेकर लडाई झगडा हो रहा था। तब गणपत ने मथुरा के आडे फिर कर मथुरा के साथ मारपीट करी और उसके फावडे से हाथ पर मारी। जिससे मथुरा के हाथ में चोट लगी और उसके उल्टे हाथ की हड्डी टूट गई। उसके बाद उसने बीच बचाव कराया। मथुरा ने मुकदमा दर्ज कराया। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि वह घटना के समय वहीं पर था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसने बीच–बचाव कराया था। लेकिन उसके कोई चोट नहीं आयी।

17. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रार्थिया/आहता मथरा देवी तथा अन्य चश्मदीद साक्षीगण ने अपने–अपने साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा आहता के साथ मारपीट किए जाने का कथन किया है। प्रकरण में यद्यपि गवाह भोलु का मौके पर बाद में पहुंचने का कथन किया है, परन्तु उसके द्वारा घटना के बारे सुनने का कथन किया गया है, वहीं अन्य गवाहान की साक्ष्यों से अभियुक्त गणपत द्वारा आहता के साथ झगडा करने की सम्पुष्टि होती है, जिसका किसी प्रकार का कोई विरोधाभास पत्रावली में नहीं आया है। इस संबंध में प्रार्थिया आहता एवं अन्य साक्षीगण को जब न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया तो गवाहान ने धक्का–मुक्की व फावडे से मारपीट करना बताया है। गवाह के उक्त कथनों से उक्त घटना कारित होने की सम्पुष्टि होती है।

18. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 8 नन्दलाल को परीक्षित करवाया गया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाही की सम्पुष्टि की है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि एफ.आई.आर पांच दिन बाद देश की थी। गवाह ने आगे कथन किया कि दिनांक 12.01.2022 को मजरूबा मथुरा देवी के साथ मारपीट की इत्तला मिलने पर उसने मेडिकल मुआयना कराया था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उनके मध्य रास्ते की बात को लेकर रंजिश थी। प्रकरण में आहता को कारित चोटों की सम्पुष्टि हेतु चिकित्सकीय साक्षी गवाह पी.ड.

7 डॉ. रामदयाल को परीक्षित करवाया है, जिसने मुख्य परीक्षण में आहता श्रीमती मथरा देवी के शरीर पर आई चोटों की सम्पुष्टि करते हुए चोट प्रतिवेदन बनाए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया कि उक्त चोट नुकिले पत्थर पर गिरने से आई हो। उक्त कथनों से भी अभियुक्त द्वारा कुंद हथियार से आहता के साथ मारपीट किए जाने की सम्पुष्टि होती है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा आहता को कारित चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–7 एवं एक्सरे राय प्रदर्श पी–8 प्रदर्शित करवाया है जिसके अवलोकन से आहता को कारित चोटों की सम्पुष्टि होती है।

19. उपरोक्त सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन पक्ष धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. का अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार पत्रावली पर जो साक्ष्य पेश की गई है, उसके आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: आदेश::–

20. अतः अभियुक्त गणपत लाल पुत्र मिठुलाल निवासी जसवन्तपुरा (काशीपुरा) पुलिस थाना सराना जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करार दिया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

{ कार्तिक शर्मा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

21. सजा के प्रश्न पर सुना गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है उनके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। यदि अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है तो इससे अभियुक्त के सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर दोषसिद्ध अपराध में परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया। जबकि दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुरजोर विरोध करते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

22. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है व न ही दौराने अन्वीक्षा पेश किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं

परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश::

23. अतः अभियुक्त गणपत लाल पुत्र मिठुलाल निवासी जसवन्तपुरा (काशीपुरा) पुलिस थाना सराना जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप हेतु दोषसिद्ध करार दिया जाने पर उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त रुपए 10,000/– के स्वयं के बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन पेश करें कि वह ऐसे अपराध की पुनरावृर्ती नहीं करेगा, उक्त अवधि के दौरान सदाचार बनाए रखेगा, शर्त भंग होने पर न्यायालय में सजा पाने के लिए उपस्थित हो जाएगा, पेश कर तस्दीक करावें तो उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर 1000/– रूपए अक्षरे एक हजार रूपए अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किए जाते हैं जो जमा राजकोष रहे। **अभियुक्त द्वारा प्रथम बार परिवीक्षा का लाभ लेने के बाबत शपथ पत्र पेश किया जावे।** अभियुक्त की ओर से पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत व बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

{ कार्तिक शर्मा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

24. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 15.04.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

{ कार्तिक शर्मा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर